महत्वपूर्ण/समयबद्ध

8/संख्या- 590/बयालिस- 2014- 55(विविध)/2013टी0सी0

प्रेषक,

सी0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2014**

विषय- उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा- 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कतिपय सेवाओं एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2014 के साथ संलग्न अपीलीय अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत चिन्हित 10 सेवाओं के निस्तारण हेतु खेल विभाग, उत्तर प्रदेश में नामित प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित करने विषयक प्रस्ताव को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावानुसार अनुपालन सुनिश्चित कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- यह भी उल्लेखनीय है कि खेल विभाग के नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षण अधिकारी की सूचना लोक सेवा प्रबन्ध विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जा चुकी है।

भवदीय,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in